न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

डा० अनामिका सिंह पुत्री स्व० जयश्री लाल आजाद निवासिनी म०नं०-एन.8/162A-2 जे कैलाशपुरी कालोनी, नेवादा, सुन्दरपुर, थाना चितईपुर जनपद वाराणसी। .....प्रार्थिनी।

बनाम

1.सुशील कुमार गौतम पुत्र लल्लन निवासी कैलाशपुरी कालोनी, थाना चितईपुर, जनपद वाराणसी। (प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)।
2.लक्ष्मण पुत्र अज्ञात सुशील कुमार गौतम का ड्राइवर
3. एक अन्य ड्राइवर सुशील कुमार गौतम का नाम पता अज्ञात .....अभियुक्तगण।

प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्र संख्या-3781/2025
अन्तर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना-चितईपुर, जिला-वाराणसी।

दिनांक 17.03.2026

1- पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थिनी डा० अनामिका सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी०एन०एस०एस० पर उनके विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सविस्तार सुना जा चुका है।

2- प्रार्थना-पत्र एवं समस्त संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3- संक्षेप में प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अभिकथित किया है कि प्रार्थिनी पढ़ी लिखने एवं कानून पर आस्था तथा विश्वास रखने वाली महिला है। प्रार्थिनी के पिता एवं माता का देहान्त हो गया है। प्रार्थिनी का भाई बाहर नौकरी करता है एवं प्रार्थिनी अपने घर पर अकेली रहती है। प्रार्थिनी के अकेले रहने का नाजायज फायदा उठाते हुए पड़ोस में रहने वाले सुशील कुमार गौतम पुत्र लल्लन निवासी कैलाशपुरी कालोनी (प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट महात्मा गाँधी विद्यापीठ वाराणसी) जो कि सदैव अपनी गाडी सं०-यू.पी.65 एफ.एन. 2009 एक्स.यूपी. 700 व गाड़ी सं०-यू.पी 65 सी के.6806 आई 20 को प्रार्थिनी के घर के तथा गेट के सामने खड़ा कर देते है जिससे प्रार्थिनी का बाहर निकलना दुस्वार हो जाता है और प्रार्थिनी जब गाड़ी हटाने के लिये कहती है तो उक्त सुशील कुमार गौतम मां बहन की गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए अश्लील व गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते है साथ ही साथ प्रार्थिनी के मुख्य द्वार पर अपनी कार खड़ीकर सिटी बजाना, अर्द्धनग्न अवस्था में घर से बाहर खड़े रहना एवं कार के दरवाजे को खोलने व बंद करने के बहाने से प्रार्थिनी को घूरना व गंदे इशारे करना जैसी व्यवहार करते है इनके इस कृत्य में इनका ड्राइवर लक्ष्मण व एक अन्य ड्राइवर भी शामिल है। प्रार्थिनी जब मना करती है तो बत्तमीजी व मारपीट पर अमादा हो जाते है और कहते है कि अभी तो तुम्हारे साथ इतना ही हो रहा है ज्यादा बोलोगी तो घर में भी सुरक्षित नहीं रहोगी और कहते है कि जैसे आर०के० राम का हाल 100-150 लड़को को बुलाकर किया था। उससे बुरी दशा तुम्हारी कराऊंगा घर में जबरदस्ती घुसकर भी गालियाँ देते है। उक्त सुशील कुमार गौतम के दोनो गाड़ियो के प्रार्थिनी के बाउण्ड्री व दरवाजे के

17.03.26

सामने खड़े होने के कारण प्रार्थिनी की बाउण्ड्री सीवर, पाइप व नाली ट्रट गयी है एवं बाउण्ड्री भी क्षतिग्रस्त हो गया है। जिससे प्रार्थिनी का काफी नुकसानी के पास उनके द्वारा किम कृत्य सीसीटीवी फुटेज है जबकि उनी बता करने का पर्याप्त स्थान भी है। प्रार्थिनी इनके द्वारा किये जा कृत्य व धमकियों से अत्यन्त परेशान है अकेली लड़की होने के नाते सुशील कुमार गौतम असुरक्षित महसूस कर रही है क्योंकि उक्त कृत्य निरन्तर जारी है एवं इस संबंध में थाने पर सूचना देने के उपरांत भी कोई कार्यवाही न होने की दशा में प्रार्थिनी करी व भयभीत अवस्था में दिनांक 28.08.2025 को मिलकर तथा दिनांक 30.08.2025 को रजिस्टर्ड डाक से इस घटना की सूचना श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय को दिया तथा एक रिमाइण्ड प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2025 को श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के यहां देने पर पुलिस प्रार्थिनी के पास पूछताछ के लिये आयी परन्तु उसी समय सुशील कुमार गौतम पुलिस वालो के सामने ही घर में घुसकर गाली गलौज व धमकी देने लगा एवं उक्त पुलिस वाले मात्र खानापूर्तिकर चले गये। परन्तु आज तक कोई संतोष जनक परिणाम व न्याय मिलने की दशा में उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

4- उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड, अन्य अभिलेख की छायाप्रति तथा रजिस्टर्ड डाक संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है।

5- प्रार्थना-पत्र के तथ्य के प्रकाश में संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार आवेदिका डा० अनामिका सिंह उपरोक्त बनाम सुशील कुमार गौतम आदि तीन नफर की जाँच थाना हाजा के रजिस्टर के मुताबिक किया गया तो उक्त के संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त/विपक्षी संख्या-०1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 04.10.2025 पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादिनी मुकदमा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पूर्ण तथ्य मनगढंत व निराधार व सत्य से परे है व सत्यता कोशो दूर है। उक्त प्रार्थना पत्र महज प्रार्थी पर नाजायज दबाव बनाने की गरज से प्रस्तुत किया गया है जिसमें तनिक भी सत्यता नहीं है और हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है। वादिनी डॉ. अनामिका अप्रार्थना पत्र के स्तर लगायत 4 में विपक्षी के प्रति लगाये गये समस्त आरोप बेबुनियाद असत्य, मनगढंत व निराधार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित अपराध के बारे में कोई आनकारी प्रार्थी को नहीं है, ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना प्रार्थी या उसके ड्राइवर या उसक्के घर के किसी सदस्य द्वारा कभी कारित नहीं की गयी है। अधिरोपित आरोपों के प्रथम दृष्टया अवलोकन से वादिनी मुकदमा की दूषित व गंदी मानसिकता प्रदर्शित होती है, अधिरोपित आरोप अत्यन्त निम्न स्तर के हैं जिनमें तनिक भी सत्यता नहीं है। प्रार्थी व उसके परिवार के लोग समाज के सम्भ्रांत नागरिक है और शिक्षक है जो समाज को पथ-प्रदर्शित करने वाले हैं। प्रार्थी/विपक्षी संख्या-1 वर्तमान समय में प्रोफेसर के पद पर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेन्ट महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में कार्यरत [2:56 PM, 3/16/2026] Study123: और प्रार्थी की पत्नी प्रो. डॉ. रेखा गौतम सामाजिक विज्ञान संकाय महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में संकाय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है साथ ही साथ वादिनी मुकदमा के घर व प्रार्थी/विपक्षी के घर के मध्य काफी दूरी है और प्रार्थी/विपक्षी द्वारा अपने वाहन को अपने दरवाजे पर खड़ा किया जाता है, वादिनी के दरवाजे पर वाहन खड़ा नहीं किया जाता है, ऐसे में वादिनी के दरवाजे पर वाहन खड़ा किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, बल्कि वादिनी अपने दरवाजे के सामने स्कूटी खड़ी कर देती है जिसके चलते प्रार्थी को ही अपना वाहन ले जाने व ले आने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी द्वारा कई बार शिकायत किये जाने पर डॉ. अनामिका द्वारा बराबर प्रार्थी को अपशब्द भला बुरा कहते हुए सबक सिखाने की

17-03-26

धमकी दी जाती है और उसी धमकी को पूरा करते हुए वादिनी मुकदमा ने प्रार्थी पर नाजायज दवाव बनाने की गरज से उक्त झूठा शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया है जो हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही वादिनी के घर व प्रार्थी/ विपक्षी के घर के मध्य की दूरी व वाहन खड़े किये जाने के सन्दर्भ में एक प्रारम्भिक जाँच कराया जाना भी आवश्यक है।

7- प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रकरण संज्ञेय प्रकृति का है। प्रार्थना-पत्र शपथ पत्र से समर्थित है तथा बिना विवेचना कराये सत्य को उदभुत किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी डा० अनामिका सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के संबंध में समुचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें।

17-03-26

दिनांक 17.03.2026

(मनीष कुमार-II)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वाराणसी।
J.O.Code UP1965

18/03/26